न्यायालय उपखण्ड अधिकारी विराटनगर, जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी – राजवीर सिंह यादव R.A.S.

प्रार्थना पत्र संख्या :– 52/2019

दायर तारीख :– 21-06-2019

1. ज्वाला प्रसाद पुत्र छोटा जाति रैगर निवासी भाबरू तहसील विराटनगर जिला जयपुर राज0।

— प्रार्थी

बनाम

1. रूडमल पुत्र सुरजा राम जाति रैगर निवासी वार्ड नंबर 08 भाबरू तहसील विराटनगर जिला जयपुर राज0।
2. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार तहसील विराटनगर, जिला जयपुर राज0।

— अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र पत्थरगढी एवं स्थायी सीमा निर्धारण

उपस्थित : श्री आनंद सिंह शेखावत, अधिवक्ता प्रार्थी
एकपक्षीय कार्यवाही अप्रार्थी संख्या 1
पैरोकार सरकार

कार्यालय–उपखण्ड अधिकारी विराटनगर (जयपुर)

निर्णय

निर्णय दिनांक : 25.02.2021

1. प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि वाके ग्राम भाबरू के खसरा नम्बर 2533/0.35, 2534/0.87 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 1.22 हैक्टेयर भूमि प्रार्थी के नाम दर्ज रिकॉर्ड जमाबंदी संवत् 2072–2075 है। यह है कि प्रार्थी की खातेदारी भूमि से लगते हुए अप्रार्थी संख्या 1 की खातेदारी भूमि स्थित है अप्रार्थी संख्या 1 के काश्तकार प्रार्थी की खातेदारी भूमि की काश्त करने में सीमा को लेकर विवाद करते रहते है। और अप्रार्थी, प्रार्थी को उनकी खातेदारी भूमि की काश्त करने में दखल करते है और सीमाओं को लेकर विवाद करते रहते है, जिससे प्रार्थी ने दिनांक 22.05.2019 को अपनी खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान भी करवा लिया, परन्तु अप्रार्थी संख्या 1 व उसके काश्तकार, प्रार्थी की भूमि की सीमा को लेकर विवाद करना बंद नहीं करते हैं। प्रार्थी अब अपनी भूमि को सुरक्षित करवाने की गरज से पत्थरगढी करवाना चाहते है। अतः निवेदन है कि वाके ग्राम भाबरू के खसरा नम्बर 2533/0.35, 2534/0.87 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 1.22 हैक्टेयर भूमि की स्थायी सीमा निर्धारण/पत्थरगढ़ी आवश्यक पुलिस इमदाद तहसीलदार तहसील विराटनगर को उपलब्ध करवाई जाकर करवाई जाने की कृपा करें।
2. प्रार्थना पत्र बाद जांच दर्ज पंजीका किया गया। अप्रार्थीगण की तलबी की गई। अप्रार्थी संख्या 1 सम्यक् तामिल अनुपस्थित रहे, इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गयी। पैरोकार सरकार उपस्थित।

उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर (जयपुर)

3. प्रार्थी ने दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में नकल जंमाबन्दी ग्राम भाबरू खाता संख्या 135 संवत् 2072–75, नकल फर्द मौका रिपोर्ट सीमाज्ञान 22.05.2019, नक्शा ट्रेस ग्राम भाबरू, फोटो प्रति आधार कार्ड प्रार्थी ज्वाला प्रसाद आदि पेश किये।
4. विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी एवं पैरोकार सरकार को सुना गया।
5. पत्रावली, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो, विधि के सुसंगत प्रावधानों का अवलोकन किया गया एवं बहस अधिवक्ता पर मनन किया गया। वाके ग्राम भाबरू के खसरा नम्बर 2533/0.35, 2534/0.87 हैक्टेयर कुल किता 2 कुल रकबा 1.22 हैक्टेयर भूमि प्रार्थी के नाम दर्ज रिकॉर्ड जमाबंदी संवत् 2072–2075 है। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी का तर्क रहा कि मौके पर पडौसी खातेदार प्रार्थी की आराजी की सीमा–डोल तोडते हैं, जबकि अन्य किसी का, प्रार्थी की आराजी से कोई संबंध नहीं है। यह भी कि प्रार्थी ने तहसीलदार विराटनगर के आदेश क्रमांक– भू.अ./2019/884 दिनांक 08.05.2019 की पालना में दिनांक 22.05.2019 को खसरा नंबर 2533/0.35, 2534/0.87 सीमाज्ञान करवा लिया है। खातेदार को अपनी आराजी की सुरक्षा की दृष्टि से सीमाओं की जानकारी होना आवश्यक है। अतः प्रार्थी एवं अन्य खातेदारों के मध्य भविष्य में होने वाले विवाद को रोकने के लिए यह आवश्यक है कि प्रार्थी की आराजी की पत्थरगढी की जाकर स्थायी सीमाचिन्ह स्थापित किये जावें।
6. प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के अभिकथनों को सुसंगत दस्तावेजी साक्ष्यों से बखूबी साबित किया है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>आदेश</u>

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार विराटनगर को आदेश दिये जाते हैं कि प्रार्थी की वर्णित भूमि वाके ग्राम भाबरू के खसरा नम्बर 2533/0.35, 2534/0.87 हैक्टेयर की पत्थरगढी कर, स्थायी सीमांकन चिन्ह स्थापित करावे। खर्चा पक्षकार अपना–अपना वहन करें। निर्णय की पालना सुनिश्चित करें।

निर्णय आज दिनांक 25.02.2021 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(राजवीर सिंह यादव R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी
विराटनगर (जयपुर)